

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उ० प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के सापेक्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-6913/यूपीनेडा-आरटीसी/07/एसएण्डडी/2021-22, दिनांक 14 मार्च 2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ०प्र० को अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण के क्रियान्वयन हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू० 250.00 लाख (रू० दो करोड़ पचास लाख मात्र) में से शासनादेश संख्या-22/2022/625/001-87-01099-5-2019, दिनांक 21 जुलाई 2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू० 62.50 लाख (रू० बासठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। सम्प्राप्ति अवशेष बची धनराशि रू० 187.50 लाख (रू० एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र) में से रू० 62.50 (रू० बासठ लाख पचास हजार मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

- 1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा समस्त औपचारिकताएँ एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 5- कार्यस्थल पर इससे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।
- 6- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाय।
- 7- प्रस्तावित कार्य हेतु सामग्री का क्रय स्टोर परचेस रूल, वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 8- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व योजनाओं/परियोजनाओं के लक्ष्य के प्रस्तावों/आंगणनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77, दिनांक 19.10.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु विल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 10-अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 12- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 62,50,000.00 (₹0 बासठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010500 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्रों का आधुनिकीकरण / नवीनीकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-10-175-दस-2022-23, दिनांक 21 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सर्वेश कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 12/2023/471/002-87-01099-45-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (4) राज्य योजना आयोग-1
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30 प्र0, प्रयागराज।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सर्वेश कुमार सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।